न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 70/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
ढलाराम पुत्र श्री पेमाराम, जाति नाई, निवासी ग्राम राजपुरिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. पुखराज पुत्र श्री बाबूराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम राजपुरिया, पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्त श्री विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या दो की और से राजकीय अभिभाषक।

आदेश

दिनांक :- 05/08/2020

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी। पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 328 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा ग्राम राजपुरिया, तहसील लूणी, में स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। ग्राम राजपुरिया के खसरा संख्या 328 की भूमि के चिपते ही पश्चिम दिशा की तरफ खसरा संख्या 327 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा व खसरा संख्या 326 रकवा 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित हैं व इन खसरा संख्या 326 व 327 के समाप्त होते ही पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं। खसरा संख्या 326 व 327 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या एक के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 328 में पहुंचने हेतू किसी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं हैं पहले तो प्रार्थी खसरा संख्या 327 के दक्षिणी माठ के सहारे से ही होकर अपने खेत में पहुंचता है, लेकिन तत्पश्चात खसरा संख्या 327 के खातेदार अप्रार्थी संख्या एक व उनके अन्य परिवारजन छोटी छोटी बात को भी लेकर प्रार्थी से झगड़ने लग जाते एवं हर बार छोटी छोटी बात पर रास्ता अवरूद्ध कर देने की धमकिया देते एवं रोक भी देते जिससे प्रार्थी व्यथित होकर उनसे हर बार निवेदन करता रहा कि प्रार्थी के खेत में पहूंचने का किसी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता नहीं हैं इसलिये प्रार्थी से उचित कीमत ली जाकर प्रार्थी के खेत में पहूंचने हेतु सबसे लघुतम पड़ने वाला मार्ग उपलब्ध करवाकर उसको कटाण करवा देवें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद एक दूसरें खातेदारों के मध्य नहीं हो। लेकिन अप्रार्थी संख्या एक अपनी कृषि भूमि में से रास्ते को किसी भी सूरत में कटाण नहीं करवाने पर ही अड़े रहें हैं जबकि प्रार्थी उन्हें रास्ते में जाने वाली भूमि की उचित कीमत भी अदा करने हेतु तैयार हैं। प्रार्थी के लिये वर्तमान में अपने खेत में जाने हेतु किसी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता मौजूद नहीं हैं इसलिये प्रार्थी अपने खेत में पहूंचने हेतु कटाणी रास्ते से अपने खेत तक वबसे लघुतम एवं सुगम मार्ग को कटाण करवाना चाहता हैं जिसकी उचित प्रतिफल राशि राशि प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या एक को देने हेतु तैयार हैं। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 328 में पहूंचने हेतू इस प्रास्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम तथा सुगम, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ही नहीं हैं एवं रास्ते के अभाव में प्रार्थी के लिये अपनी भूमि खसरा संख्या 328 पर काश्त करना एवं अंवेरना मुश्किल हो गया हैं इन परिस्थितियों में प्रार्थी को उपर्युक्त रास्ता खसरा संख्या 327 में से कटाणी रास्ते से प्रार्थी के खसरा संख्या 328 तक 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलबध करवाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। प्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा हैं ताकि प्रस्तावित रास्ते को लाल रंग से दर्शाया गया हैं तथा ऐ से बी मार्क किया गया है जो कि इस नजरी नक्शें को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 328 में पहूंचने हेतु कटाणी रास्ते से खसरा संख्या 327 मे से संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार ए से बी भाग तक 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस तामिल होने पर अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जवाब भी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

तहसीलदार लूणी से इस प्रकरण के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मकुलाम पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा जो ए से बी रास्ता चाहा गया हैं वह वर्तमान राजस्व नक्शें में कटाण नहीं हैं। तहसीलदार लूणी के पत्रांक भू.अ./20/4471 दिनांक 24.02.2020 रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता ही सबसे लघुतम एवं निकटतम हैं तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं हैं तथा तहसीलदार लूणी ने भी अपनी अनुषंशा इस प्रस्तावित रास्ते के अनुसार ही की हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम राजपुरिया के खसरा संख्या 328 में पहूंचने हेतु खसरा संख्या 327 में से इस प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार ए से बी भाग का 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाता हैं तथा उक्त रास्ता का जो रकबा तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार 5 बिस्वा 17 बिस्वांशी बनता हैं तथा उक्त खसरें की प्रतिबीघा कृषि भूमि की दर 24750/प्रति बीघा रूपयें हैं उसके अनुसार उक्त रास्ते के रकबे के बदले में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या एक को दौगुनी राशि यानि रूपयें 14484/-रूपये का चैक अथवा डीडी न्यायालयमें में जमा करवायें। तहसीलदार लूणी तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
लूणी

यह निर्णय आज दिनांक 05/08/2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner